झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

विकास तिवारी @बिकाश तिवारी @बिकाश नाथ

(आपराधिक अपील संख्या 240/2025)

17 जनवरी 2025

[जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, न्यायाधीश]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग से झारखंड राज्य के भीतर केन्द्रीय कारागार, दुमका में अपीलकर्ता का राज्य के भीतर स्थानांतरण करते हुए कारागार महानिरीक्षक, रांची, झारखंड द्वारा दिनांक 17.05.2023 को जारी आदेश/ज्ञापन को रद्द करने में सही था।

सारांश

कैदी अधिनियम, 1900- धारा 29- राज्य जेल नियमावली, 1925-नियम 770 (ख) - उत्तरदाता को दंड संहिता, 1860 की धारा 302/120-ख/34,353/34,341/34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था; शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 26/35,27 (2)। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराएं 3/4/5, और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई - जेल महानिरीक्षक ने दिनांक 17.05.2023 के ज्ञापन द्वारा उन्हें लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय जेल, हजारीबाग से केंद्रीय जेल, दुमका में स्थानांतरित कर दिया। - उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.05.2023 के स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया-शुद्धता

निर्णय: तत्काल मामले में, जेल अधीक्षक ने दिनांक 16.05.2023 के पत्र द्वारा दो कुख्यात अपराधियों की उपस्थिति के कारण जेल में गैंगवार/अप्रिय घटना की आशंका व्यक्त की; और उन्हें बनाए रखने के लिए अपर्याप्त कक्षपाल जो जेल प्रशासन के लिए एक चुनौती है और इसलिए, जेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय स्थानांतरण अनुरोध किया -

इस प्रकार की गई आशंका के आधार पर, कारागार महानिरीक्षक ने कैदी अधिनियम, 1900 और लागू नियमों की धारा 29 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता को जेल की सुरक्षा के लिए और जेल में उत्तरदाता के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया - इस प्रकार किया गया स्थानांतरण कानून के अनुसार था - जेल में सभी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जेल महानिरीक्षक का कर्तव्य है - यह उपाय न केवल कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल्कि जेल के भीतर गिरोह से संबंधित हिंसा की संभावना को बाधित करने और बेअसर करने के लिए भी आवश्यक था - अपीलकर्ता को स्थानांतरित करने का ऐसा निर्णय केवल जेल की सुरक्षा बनाए रखने के व्यापक हित में था - निर्णय के पीछे एक गहरा तर्क है और इसलिए, इस तरह के निर्णय में मनमानेपन की बुराई नहीं है-इस प्रकार, उत्तरदाता का किसी अन्य जेल में स्थानांतरण न केवल वैध है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है - उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.05.2023 के स्थानांतरण आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया है और दिनांक 17.05.2023 के आदेश/ज्ञापन को बहाल कर दिया गया है। [अनुच्छेद 13,16]

आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023-नियम 35-कारागार नियमावली 2016-अध्याय IX-नियम 9.01 (vii)-पर चर्चा की गई। [अनुच्छेद 14]

भारत का संविधान-अनुच्छेद. 21- कैदियों के अधिकार-कैदियों के सुधार और पुनर्वासः

निर्णय: एक बेहतर वातावरण और जेल संस्कृति बनाने के लिए जेल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदी अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अपने अधिकार का आनंद ले सकें-जेल में प्रचलित शारीरिक स्थितियों की लगातार निगरानी करना, कैदियों के बुनियादी और मौलिक अधिकारों के अनुपालन आदि आवश्यक है। राज्य यह मानता है कि एक कैदी स्वतंत्रता का अपना अधिकार खो देता है, लेकिन फिर भी एक इंसान और व्यक्ति के रूप में व्यवहार किए जाने के अपने अधिकार को बनाए रखता है-उसकी मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाएगा और उसे सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए - अनुशासन और व्यवस्था दृढ़ता के साथ, लेकिन सुरक्षित अभिरक्षा और सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक से अधिक प्रतिबंध के बिना, कैदियों के अधिकारों के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए बनाए रखी जाएगी - इस प्रकार, कैदियों के सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य को लगन से आगे बढ़ाना होगा। [अनुच्छेद 17.2]

आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023-कारागार नियमावली 2016- निर्देश जारी किए गएः

निर्णय: झारखंड राज्य ने प्रभावी जेल प्रशासन और जेल अधिकारियों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2016 मॉडल जेल मैनुअल के लागू प्रावधानों को शामिल करते हुए एक जेल मैनुअल तैयार करने या तैयार करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। [अनुच्छेद 18 (iii)]

न्यायिक निर्णय

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सईद सोहेल शेख और अन्य का हवाला दिया [2012] 11 एससीआर 916: (2012) 13 एससीसी 192; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2005) 3 एस. सी. सी. 284; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य [1979] 1 एससीआर 392: (1978) 4 एससीसी 494; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उपनाम पप्पु यादव (2005) 3 एससीसी 284; महाराष्ट्र राज्य बनाम सैयद नूर हसन गुलाम हुसैन, 1995 Crl.LJ 765 एससी; राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (1997) 2 एस. सी. सी. 642; 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियाँ, पुनः में [2017] 14 एससीआर 519: (2017) 10 एससीसी 658-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

शस्त्र अधिनियम, 1959; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908; कैदी अधिनियम, 1900; आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023; कारागार अधिनियम, 1894; दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 29; दूसरे जेल में स्थानांतरण; राज्य के भीतर स्थानांतरण अनुरोध; जेल; जेलों में सुरक्षा; कैदियों की सुरक्षा; गिरोह से संबंधित हिंसा; जेलों की सुरक्षा; कैदियों के अधिकार; सुधार और कैदियों का पुनर्वास।

से उत्पन्न हुआ मामला

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 240/2025

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 21.08.2023 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यूपीसीआ संख्या 318/2023

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री प्रज्ञा बघेल, हनी खन्ना, सुजीत कुमार चौबे, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

विवेक कृष्ण तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता, इंदर देव सिंह, विपुल तिवारी, अनुज अग्रवाल, सर्वम रितम खरे, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

आर. महादेवन, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील झारखंड राज्य और अन्य द्वारा दायर की गई है, अंतिम आदेश दिनांक 21.08.2023 रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 318/2023, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, हजारीबाग से झारखंड राज्य के भीतर केंद्रीय कारागार, दुमका में अपीलकर्ता का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण करते हुए कारागार महानिरीक्षक, रांची, झारखंड द्वारा दिनांक 17.05.2023 को जारी आदेश/ज्ञापन को रद्द कर दिया।

3. यह फ्योदोर डोस्तोव्स्की के शब्द हैं, "किसी समाज में सभ्यता का मानक को उसकी जेलों में प्रवेश करके आंका जा सकता है।" जेलों को आपराधिक न्याय प्रणाली का 'आखिरी हिस्सा" माना जाता है। वे प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं, जहाँ असामाजिक तत्वों को निरोध और प्रतिशोध के लिए रखा जाता था। लेकिन, आधुनिक दिनों में, एक जेल एक सुधारात्मक तंत्र को दर्शाती है, जिससे कैदियों के सुधार पर जोर दिया जाता है। जेल जीवन में कैदियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। इसलिए, जेल अधिकारियों की ओर से यह अनिवार्य है कि जेल में सुरक्षा और कानून का शासन बनाए रखने के अलावा कैदियों को

कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में पुनर्वासित किया जाए। इस प्रस्तावना के साथ, हम इस अपील में शामिल मुद्दे पर गौर करेंगे।

4. संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 22.09.2020 के निर्णय द्वारा, उत्तरदाता को हजारीबाग सदर थाना से उत्पन्न होने कांड संख्या 610/2025 के मामले में सत्र विचारण संख्या 141/2016 के मामले के संबंध में दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/120-B/34,353/34,341/34, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-क) 26/35,27 (2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4/5 के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए जनरल रजिस्टर वाद संख्या 2325/2015 के अनुरूप और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और रांची जिलों में अन्य मामलों में भी आरोपी के रूप में फंसाया गया था। यह आरोप लगाते हुए कि कोई अवसर दिए बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, उत्तरदाता को लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय जेल, हजारीबाग से केंद्रीय जेल, दुमका में स्थानांतरित कर दिया गया था, जेल महानिरीक्षक के ज्ञापन द्वारा दिनांक 17.05.2023, उन्होंने इसे रद्द करने के लिए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या. 318/2023 दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहा गया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा दिनांक 30.10.2015 और 02.11.2015 को स्थानांतरण के समान आदेश पारित किए गए थे पतरातू थाना कांड संख्या 309/2014 के आलोक में जनरल रजिस्टर वाद संख्या 5151/2014 में। उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 2267/2015 में दिनांक 08.03.2016 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.05.2023 के स्थानांतरण के आदेश को दरकिनार कर दिया और तदनुसार, 21.08.2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटान किया, जिसे राज्य अधिकारियों द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता एक गैंगस्टर है और झारखंड राज्य के चार जिलों रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा में गढ़ होने के कारण झारखंड राज्य में अपनी कुख्याति के लिए जाना जाता है। रिकॉर्ड के अनुसार, उत्तरदाता 04.08.2015 से 21.09.2020 तक एक विचाराधीन कैदी के रूप में और 22.09.2020 से दोषी के रूप में जेल में रहा है। इसके बावजूद, उनके खिलाफ 2015 (दो एफआईआर) 2016 (एक एफआईआर) 2020 (एक एफआईआर) 2021 (एक एफआईआर) 2022 (चार एफआईआर) और 2023 (एक एफआईआर) में लगभग 10 एफआईआर दर्ज की गईं।

अपीलकर्ता ने हालांकि अपनी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया और रिट याचिका के अनुच्छेद 24 में इस आशय का गलत बयान दिया कि 'उसके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है'। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना किए बिना उत्तरदाता को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के आदेश को रद्द कर दिया। जबकि इस प्रकार, इसने महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सईद सोहेल शेख और अन्य[2] में इस न्यायालय के निर्णय और आपराधिक विविध याचिका संख्या 2267/2015 में किए गए 08.03.2016 के उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश पर गलती से भरोसा किया। इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि अपीलकर्ता एक दोषी है और एक विचाराधीन कैदी नहीं है।

5.1. आगे जारी रखते हुए, अपीलार्थियों के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि जेल अधीक्षक के दिनांक 16.05.2023 के पत्र के आधार पर जिला आयुक्त के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को संबोधित किया गया था, जिसमें जेल के अंदर गिरोह युद्ध/अप्रिय घटना की आशंका के कारण लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल, हजारीबाग में बंद कुख्यात अपराधियों, विकास तिवारी (उत्तरदाता) और अमन सिंह को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, और ऐसे अपराधियों पर कड़ी चौकसी रखने में अपर्याप्त कक्षपाल और जिला आयुक्त, हजारीबाग की सिफारिश के आलोक में, जेल महानिरीक्षक ने उत्तरदाता को संथाल परगना की किसी भी जेल में स्थानांतरित कर दिया था, दिनांक 17.05.2023 के ज्ञापन द्वारा, जो, विद्वान वकील के अनुसार, एक अन्य जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध करता है, और केवल एक ठोस जानकारी के आधार पर जेल अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया है और जेल के जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर है।

5.2. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता, जो एक दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, के खिलाफ जेल महानिरीक्षक द्वारा पारित अंतर-राज्य जेल स्थानांतरण का आदेश, राज्य जेल नियमावली के नियम 770 (ख) के तहत कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 29 के अनुरूप था, जो पर्याप्त आधारों के आधार पर उक्त प्राधिकरण को इसे पारित करने का अधिकार देता है।

5.3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता का यह तर्क कि उक्त अंतर-राज्यीय जेल स्थानांतरण उसके जीवन के लिए खतरा है, आत्म-पराजय है, क्योंकि स्थानांतरण के पीछे जेल अधिकारियों का प्राथमिक इरादा जेल परिसर के भीतर

प्रतिद्वंद्वी समूहों के प्रत्याशित गिरोह युद्ध के आलोक में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

5.4. उत्तरदाता के चरित्र के बारे में जेल अधीक्षक द्वारा दिनांक 19.05.2023 को जारी प्रमाण पत्र के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून के अनुसार नहीं है, बल्कि एक प्रहसन और भ्रामक है।

5.5 महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा पारित स्थानांतरण के आदेश को उचित ठहराने के लिए विद्वान वकील ने कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया।[3]

5.6. इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मनमाना और अवैध है और इसलिए, इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

6. अपीलार्थियों की ओर से की गई दलीलों को खारिज करते हुए, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि उत्तरदाता जेल के अंदर किसी भी अप्रिय घटना में शामिल था, और न ही अपीलार्थियों ने स्थानांतरण के लिए अपने दावे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश किया। इस प्रकार, अपीलार्थियों द्वारा व्यक्त सामूहिक युद्ध की आशंका निराधार है।

6.1. जेल अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.05.2023 को जारी प्रमाण पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, इस प्रभाव के लिए कि उत्तरदाता का चरित्र संतोषजनक था, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय पर पहुंचने से पहले एक कैदी का चरित्र प्रमाण पत्र नियमित रूप से मांगा जाता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, उत्तरदाता के चरित्र की जांच किए बिना, जेल महानिरीक्षक, झारखंड ने 17.05.2023 को स्थानांतरण आदेश पारित किया, जो केवल संदेह पैदा करता है कि इसे पूर्व निर्धारित तरीके से और दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ पारित किया गया था।

6.2. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि नियमित रूप से, उत्तरदाता के खिलाफ लगभग 10 मामले दर्ज किए गए थे, जब वह जेल में था। इसके अलावा, उत्तरदाता को 09.11.2017 से 09.09.2022 तक केंद्रीय जेल, पलामू में रखा गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है

कि इस अवधि के दौरान उसके खिलाफ दर्ज मामले, केंद्रीय जेल, हजारीबाग में बंद होने से उसके किसी भी प्रभाव के कारण हैं।

6.3. अपीलकर्ता के विद्वत वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में एक विचाराधीन कैदी है, जो हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में लंबित हैं और इसलिए, सईद सोहेल शेख (ऊपर) में इस अदालत के फैसले के अनुसार उसका दुमका जेल में स्थानांतरण जो दूर स्थित है, उसके प्रति पूर्वाग्रह रखने के लिए बाध्य है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 'जहां किसी नागरिक के जीवन की गुणवत्ता या स्वतंत्रता प्रभावित होती है, चाहे वह कारावास की सजा का सामना कर रहा हो या चल रहे मुकदमे में आपराधिक आरोप का सामना कर रहा हो। एक विचाराधीन कैदी का दूर की जेल में स्थानांतरण उसकी रक्षा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समाज से भी अलग कर सकता है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता , हालांकि दोषी ठहराया गया है और कारावास में है, अन्य मामलों में विचाराधीन कैदी के रूप में अपना बचाव करने का अपना अधिकार नहीं खोता है।

6.4. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता और अमन सिंह को क्रमशः 09.09.2022 और 06.12.2022 को केंद्रीय जेल, हजारीबाग लाया गया था; और वे 6 महीने से अधिक समय से हजारीबाग में एक साथ बंद थे और उस अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। इसके अलावा, जेल अधीक्षक के साथ-साथ दिनांक 16.05.2023 के जिला आयुक्त के संचार के आधार पर, कैदी अमन सिंह को केंद्रीय जेल, हजारीबाग से स्थानांतरित कर दिया गया था और उसे केंद्रीय जेल, धनबाद में रखा गया था, जहां उसे संदिग्ध परिस्थितियों में 03.12.2023 को गोली मार दी गई थी। इसलिए, उत्तरदाता का जीवन दांव पर है और उसे फांसी दी जाएगी, अगर उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है जैसा कि अमन सिंह के साथ किया गया था।

6.5 अंततः, अपीलकर्ता के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया और अपीलकर्ता के अंतर-राज्यीय जेल हस्तांतरण के आदेश को यहां आक्षेपित आदेश द्वारा दरकिनार कर दिया और इसलिए, यह इस न्यायालय के हाथों किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ा है।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती जेल महानिरीक्षक द्वारा ज्ञापन के रूप में पारित दिनांक 17.05.2023 के आदेश को दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय जेल, हजारीबाग से केंद्रीय जेल, दुमका, झारखंड राज्य के भीतर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया था। बेहतर समझ के लिए, उक्त ज्ञापन की सामग्री नीचे दी गई हैः

"सुशील श्रीवास्तव (श्रीवास्तव गिरोह के नेता) की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पांडे गिरोह के गैंगस्टर विकास तिवारी को हजारीबाग केंद्रीय जेल से संथाल परगना की किसी भी जेल में स्थानांतरित किया जाना है। विकास तिवारी के खिलाफ लगातार शिकायतों की प्राप्ति और अतिरिक्त महानिदेशक (अभियान), उपयुक्त, हजारीबाग और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के सख्त रुख के आलोक में कल माहनिरीक्षक जेल, झारखंड, रांची को हजारीबाग केंद्रीय जेल से विकास तिवारी के स्थानांतरण के लिए हजारीबाग केंद्रीय जेल से एक सिफारिश की।"

इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसा स्थानांतरण जेल महानिरीक्षक द्वारा किया गया था, पूरी तरह से जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग की सिफारिश पर, अधीक्षक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 16.05.2023 को संबोधित पत्र के आधार पर।

9. विशेष रूप से, जेल अधीक्षक द्वारा 16.05.2023 को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुख्यात अपराधी अर्थात् उत्तरदाता और अमन सिंह को एक ही जेल में बंद कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जेल में गैंगवार/अप्रिय घटना का खतरा है; कक्षपालों की कमी के कारण, अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना मुश्किल है; गैंगवार की स्थिति में, जेल प्रशासन को उन्हें नियंत्रित करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है; और इसलिए, उक्त कुख्यात अपराधियों को प्रशासनिक आधार पर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि जेल की सुरक्षा अप्रभावित रहे। जिला आयुक्त ने दिनांक 16.05.2023 के अपने पत्र में भी जेल अधीक्षक के उक्त संचार का उल्लेख किया और जेल महानिरीक्षक से अनुरोध किया कि वे उक्त अभियुक्त व्यक्तियों को प्रशासनिक आधार पर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इन दो

संचारों पर विचार करने पर, कारागार महानिरीक्षक ने 17.5.2023 को उक्त स्थानांतरण आदेश पारित किया, जिस पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा हमला किया गया था। इस प्रकार, इस तरह के स्थानांतरण का कारण यह था कि एक ही जेल में दो कुख्यात अपराधियों को कैद करने से गिरोह युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, और कक्षपालों की कमी से अपराधियों पर नियंत्रण में बाधा आएगी और जेल प्रशासन के लिए एक चुनौती पैदा होगी और इसलिए, जेल के प्रभावी रखरखाव के लिए स्थानांतरण की मांग की गई थी।

10. तथापि, यहां आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कारागार महानिरीक्षक द्वारा इस प्रकार किए गए स्थानांतरण आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित नहीं करने की प्रार्थना को पहले उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2016 के आदेश द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 2267/2015 में अनुमति दी गई थी; और हजारीबाग जेल के अधीक्षक द्वारा दिनांक 19.05.2023 को जारी प्रमाण पत्र में अपीलकर्ता और उसके चरित्र के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी संतोषजनक नहीं थी; और आगे सईद सोहेल शेख (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए।

11. विशेष रूप से, अपीलार्थियों के विद्वत वकील द्वारा यह अभिवचन किया जाता है कि महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा पारित स्थानांतरण का आदेश राज्य कारागार नियमावली के नियम 770 (ख) के अधीन कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 29 के अनुसार था। आसानी से समझने के लिए, उक्त प्रावधानों को नीचे निकाला गया हैः

"29. कैदियों को हटाना-(1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जेल में बंद किसी कैदी को हटाने के लिए उपबंध कर सकती है-

(क) मृत्युदंड के अधीन, या

(ख) कारावास या परिवहन की सजा के अधीन या उसके स्थान पर, या

(ग) जुर्माने का भुगतान न करने पर, या

(घ) शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति न देने पर, राज्य के किसी अन्य जेल को।

(2) आदेशों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, कारागार महानिरीक्षक, उसी रीति से राज्य की किसी कारागार में यथापूर्व उल्लिखित रूप में बंद किसी कैदी को राज्य की किसी अन्य कारागार में हटाने का उपबंध कर सकेगा।

2000 के अधिनियम 30 द्वारा, बिहार के कुछ दक्षिणी जिलों को काटकर 15.11.2000 को झारखंड राज्य को अस्तित्व में लाया गया था। झारखंड राज्य ने बिहार राज्य के लिए लागू कई अधिनियमों और नियमों को अपनाया है। बिहार राज्य पर लागू जेल नियमावली, 1925 को झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया है। वर्तमान मामले में लागू उक्त नियमों के नियम 770 (ख) में कहा गया हैः "नियम 770 (ख)-जिला जेलों में प्रवेश पर दीर्घकालिक कैदी, जो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा यात्रा करने के लिए योग्य प्रमाणित हैं, उन्हें उनकी उम्र के बावजूद संबद्ध केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस नियम में निहित कुछ भी, किसी भी तरह से, पर्याप्त कारण से, अपने विवेकाधिकार पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश देने के लिए कि कैदियों के किसी भी वर्ग या वर्ग को किसी जेल या जेल के वर्ग में सीमित या स्थानांतरित किया जाएगा, महानिरीक्षक की शक्ति में हस्तक्षेप करने वाला नहीं समझा जाएगा।

इस प्रकार, धारा 29 यह स्पष्ट करती है कि राज्य के भीतर किसी अन्य कारागार में किसी कारागार में किसी कैदी को हटाना राज्य सरकार के निर्देश पर है, ऐसे मामलों में जहां कैदी उप-धारा (1) के खंड (क) से (घ) द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में सीमित है और आदेश के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रण में है, कारागार महानिरीक्षक को राज्य में किसी अन्य कारागार में जेल में उल्लिखित रूप में बंद किसी भी कैदी को हटाने का अधिकार है। उक्त प्रावधान एक विचाराधीन कैदी के बारे में नहीं बताता है। इसके अलावा, नियम 770 (ख) महानिरीक्षक को पर्याप्त आधार पर एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। धारा 29 का पहला अंग राज्य सरकार को उपधारा (1) के खंड (1) में किसी भी परिस्थिति में कैदी को हटाने के लिए सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी करने का अधिकार देता है। धारा 29 की उपधारा (2) जेल महानिरीक्षक को ऐसे स्थानांतरण के लिए आदेश देने के लिए समान शक्तियां प्रदान करती है, हालांकि आदेशों के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रण में। तत्काल मामले में, राज्य सरकार का कोई प्रतिकूल आदेश या कार्यवाही हमारे संज्ञान में नहीं लाई जाती है। यथा लागू धारा और नियमों से मूल अधिकार प्रवाहित होता है, जेल महानिरीक्षक को विवेकाधिकार पर एक कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। हम जोड़ सकते हैं कि

एकमात्र सावधानी यह है कि इस तरह के विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि इसमें उत्तरदाता एक आजीवन दोषी है और हजारीबाग सदर थाना से उत्पन्न कांड संख्या 610/20145 से होने वाले सत्र विचारण संख्या141/2016 में पारित 22.09.2020 के फैसले के अनुसार केंद्रीय जेल, हजारीबाग में सजा काट रहा है। जनरल रजिस्टर वाद संख्या 2 325/2015 के अनुरूप। कानून के उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जेल महानिरीक्षक द्वारा प्रशासनिक आधारों का हवाला देते हुए पारित स्थानांतरण का आदेश कानून के अनुसार था।

12. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को अपास्त करते हुए सईद सोहेल शेख (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का निर्देश किया जिसमें याचिकाकर्ता विचाराधीन कैदी थे और उच्च न्यायालय का आदेश इससे पूर्व 08.03.2016 को आपराधिक याचिका संख्या 2267/2015 में अपीलकर्ता द्वारा, जो उस समय विचाराधीन कैदी के रूप में कारागार में था, फाइल किया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तरदाता अब आजीवन कैदी है और केंद्रीय जेल, हजारीबाग में सजा काट रहा है। इसलिए, उपरोक्त आदेश मामले की वर्तमान परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। वास्तव में, सईद सोहेल शेख (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उप-धारा (2) निस्संदेह कारागार महानिरीक्षक को स्थानांतरण का निर्देश देने का अधिकार देती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ऐसा कोई स्थानांतरण एक कैदी का है जो धारा 29 की उप-धारा(1) में उल्लिखित परिस्थितियों में सीमित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेल में बंद किसी भी कैदी के शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट होता है। इस अभिव्यक्ति में कोई संदेह नहीं है कि उपधारा (2) के तहत स्थानांतरण भी केवल तभी अनुज्ञेय है जब यह उन कैदियों से संबंधित है जो धारा 29 की उपधारा (1) में दर्शाई गई परिस्थितियों में सीमित थे। इस प्रकार, उक्त निर्णय का दिया गया संदर्भ गलत प्रतीत होता है।

13. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही ठहराने के लिए, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने 19.05.2023 को जेल अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर भारी निर्भरता रखी। निर्विवाद रूप से, चरित्र प्रमाण पत्र देने की शक्ति जेल अधीक्षक को सौंपी गई है क्योंकि वह प्राधिकरण है, जो काफी समय तक कैदियों की गतिविधियों को बारीकी से देखता है। हालांकि, जैसा कि पहले देखा गया है, जेल अधीक्षक ने दिनांक 16.05.2023 के पत्र द्वारा दो कुख्यात अपराधियों की उपस्थिति के कारण जेल में गैंगवार/अप्रिय घटना की

आशंका व्यक्त की; और उन्हें बनाए रखने के लिए अपर्याप्त कक्षपाल जो जेल प्रशासन के लिए एक चुनौती है और इसलिए, जेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय स्थानांतरण अनुरोध किया। कुख्यात कैदी अमन सिंह 22.10.2022 को उक्त जेल में बंद था। इस प्रकार की आशंका के आधार पर, कारागार महानिरीक्षक ने कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 29 और लागू नियमों के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता को जेल की सुरक्षा के लिए और जेल में उत्तरदाता के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, जेल महानिरीक्षक ने जेल अधीक्षक द्वारा 16.05.2023 को भेजे गए पूर्व पत्र के आधार पर जिला आयुक्त की सिफारिश के आलोक में उत्तरदाता को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। हम पहले ही मान चुके हैं कि इस तरह किया गया स्थानांतरण कानून के अनुसार था। इसके अलावा, तथ्य यह है कि जब वह 04.08.2015 से 19.05.2023 तक जेल में रहा, तो उत्तरदाता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। यहां तक कि उक्त प्रमाणपत्र ने भी जेल के भीतर गिरोह युद्ध के खतरे से इनकार नहीं किया है। इसलिए, 19.05.2023 को जेल अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बाद की तारीख, i.e., विरोधाभासी प्रतीत होता है और भरोसेमंद नहीं हो सकता है, और उसी पर रखी निर्भरता हमारे द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती है।

14. इसमें शामिल मुद्दे के संबंध में, हम अतिरिक्त रूप से जेल नियमावली 2016 और आदर्श जेल और सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023 का उल्लेख कर सकते हैं। नियम 9.01 के अधीन कारागार नियमावली 2016 के अध्याय 9 में उन आधारों की सूची का उपबंध किया गया है जिनके अधीन अंतरण किया जा सकता है और यह मामले-दर-मामले के आधार पर है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'सुरक्षा के आधार' का उल्लेख नियम 9.01 (सातवीं) में किया गया है। इसके अलावा, आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023 का नियम 35 कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जेल का प्रभारी अधिकारी कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए जिम्मेदार होगा; और जेल और सुधारात्मक सेवा प्रमुख को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसी अन्य जेल में कैदी को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव, 5 में यह इंगित किया गया था कि एक दोषी या विचाराधीन व्यक्ति जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसे एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति

नहीं है, क्योंकि जेल नियमावली में इसके लिए प्रावधान नहीं है। संबंधित भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"23. इसलिए, हमारी राय में, एक दोषी या विचाराधीन व्यक्ति जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसे एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि जेल नियमावली में इसके लिए प्रावधान नहीं है। यदि तथ्यात्मक स्थिति में किसी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो वह दोषी हो या विचाराधीन कैदी। जब कानून के शासन को दंड से मुक्ति के साथ चुनौती दी जा रही हो तो अदालतों को असहाय दर्शक नहीं होना चाहिए। कानून के हथियार एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करके भी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं, यानी यह मानते हुए कि संबंधित जेल मैनुअल इस तरह के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं करता है। हमारी राय में, विद्वान वकील का तर्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के अधिकार और महिमा को कम करता है। ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उत्तरदाता ने हिरासत में रहते हुए और कभी-कभी जमानत पर रहते हुए भी बार-बार कानून का उल्लंघन किया है। हमें यहाँ पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए कि बेउर जेल का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने अपने स्वयं के कारणों से, या तो स्वेच्छा से या अन्यथा, उत्तरदाता को कानून का उल्लंघन करने में सक्षम बनाया है। इस प्रक्रिया में, हमें लगता है कि संबंधित अधिकारी, विशेष रूप से बेउर केंद्रीय जेल, पटना के अधिकारी, उत्तरदाता की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उत्तरदाता का बिहार से बाहर स्थानांतरण किया जाए।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि स्थिति कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो यह संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

15. इसके अलावा, इस न्यायालय ने गीरिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि "निरोध का स्थान निरोध प्राधिकारी की प्रशासनिक पसंद का मामला है और एक अदालत उस निर्णय में हस्तक्षेप करने में केवल तभी उचित होगी जब यह कानून के किसी विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन था या मनमाने विचारों और दुर्भावना से दूषित था।" महाराष्ट्र राज्य बनाम सैयद नूर हसन गुलाम हुसैन,[6] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कैदियों का वर्गीकरण और जेल प्रशासन द्वारा विभिन्न जेलों में उनकी

नियुक्ति एक सुसंगत नीतिगत निर्णय है। ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने का विवेकाधिकार और शक्ति मौजूद है, फिर भी इसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कल्याण चंद्र सरकार (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन किसी कैदी का जेल में बंद होने का अधिकार और राज्य में या राज्य से दूर स्थित जेल में उसके स्थानांतरण के विरुद्ध सामान्य निषेध निरपेक्ष नहीं है। यह जेल अनुशासन के रखरखाव के लिए कैदी की सुविधा के अधीन भी है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

"21. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक विचाराधीन कैदी का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। उसके मिलने के अधिकार के साथ-साथ अन्य अधिकार भी जेल नियमावली में दिए गए हैं। उत्तरदाता एक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए बाध्य था। इस तरह के मौलिक अधिकार को जेल नियमावली और ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले अन्य प्रासंगिक कानूनों द्वारा सीमित किया गया है। बिहार जेल नियमावली या अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था, इसलिए उत्तरदाता ऐसे वैधानिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य था।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि दोषी कैदी का एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है और इसलिए, अदालत द्वारा इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह मनमाना और कानून के विपरीत न हो।

16. इस प्रकार, समग्र विश्लेषण प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित करेगा कि राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, जेल महानिरीक्षक उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी जेलों का नियंत्रण और अधीक्षण करेगा। इसके अलावा, जेल अधिकारियों को जेल के भीतर अनुशासन और शांति बनाए रखने के कर्तव्यों का भार सौंपा जाता है। साथ ही, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कैदियों का एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण नियमित बात नहीं है और इसमें सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, स्थानांतरण के लिए दिया गया कारण एक गिरोह युद्ध की आसन्न संभावना का अस्तित्व था और अपर्याप्त कक्षपालों के कारण, जेल अधिकारियों को ऐसी स्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना मुश्किल होगा, अगर ऐसा होता है। इस असाधारण परिस्थिति में, जेल महानिरीक्षक ने उत्तरदाता को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। जेल में सभी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जेल महानिरीक्षक का कर्तव्य है। यह उपाय न केवल कैदी की

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल्कि जेल के भीतर गिरोह से संबंधित हिंसा की संभावना को बाधित करने और बेअसर करने के लिए भी आवश्यक था। उत्तरदाता को स्थानांतरित करने का ऐसा निर्णय केवल जेल की सुरक्षा बनाए रखने के व्यापक हित में था। निर्णय के पीछे एक गहरा तर्क है और इसलिए, इस तरह के निर्णय मनमानेपन के दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार, हमारी राय है कि अपीलकर्ता का किसी अन्य जेल में स्थानांतरण न केवल वैध है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इसमें आक्षेपित आदेश द्वारा इसे दरकिनार करने में गलती की, जिसे दरकिनार किया जा सकता है।

17. इस समय, यह इंगित करना दृष्टि से बाहर नहीं हो सकता है कि भारतीय जेल प्रणाली न्यायपालिका/जिला मजिस्ट्रेटों की कड़ी जांच के अधीन रही है, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जेलों के प्रशासन और प्रबंधन की बारीकी से निगरानी करने और समय-समय पर उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि 'कारागार' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 4 के तहत एक राज्य विषय है, इसलिए इसका प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के दायरे में आता है। वे कारागार अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर बनाए गए कारागार नियमावली/नियमों/विनियमों द्वारा शासित होते हैं। मॉडल जेल नियमावली पूरे देश में जेल प्रशासन में एकरूपता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

17.1. इस न्यायालय ने बार-बार कैदियों के उपचार और जेलों के प्रबंधन में सुधार का सुझाव देकर जेल प्रशासन में बदलाव की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 7 में कैदियों के अमानवीय अस्तित्व की निंदा की थी और उन्होंने संवैधानिक आदर्शों और मानवाधिकारों के अनुपालन में जेल नियमावली में बदलाव का आह्वान किया था। उन्होंने आगे कैदियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को संचालित करने के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। तत्पश्चात, राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य में नई अखिल भारतीय जेल नियमावली के प्रारूपण की जांच करने के लिए इस न्यायालय के निर्देश के पश्चात् आदर्श जेल नियमावली वर्ष 2003 में अस्तित्व में आई और इसे गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में ही 1382 कारागारों में अमानवीय परिस्थितियों में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुसरण में अनुमोदित किया गया। Re.9 में आदर्श कारागार नियमावली और उस प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जिसे

कैदियों के अधिकारों और जेल सुधारों की रक्षा के लिए बार-बार स्पष्ट आह्वान और मांगों के परिणाम के रूप में समझा जाना चाहिए।

17.2. एक बेहतर वातावरण और जेल संस्कृति बनाने के लिए जेल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हो। जेल में प्रचलित शारीरिक स्थितियों, कैदियों के बुनियादी और मौलिक अधिकारों के अनुपालन आदि की लगातार निगरानी करना आवश्यक है। राज्य यह मानता है कि एक कैदी स्वतंत्रता का अपना अधिकार खो देता है, लेकिन फिर भी एक इंसान और व्यक्ति के रूप में व्यवहार किए जाने के अपने अधिकार को बनाए रखता है। उनकी मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अनुशासन और व्यवस्था को दृढ़ता के साथ बनाए रखा जाएगा, लेकिन कैदियों के अधिकारों के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा और सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक से अधिक प्रतिबंध के बिना। इस प्रकार, कैदियों के सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य को लगन से आगे बढ़ाना होगा।

17.3. जहाँ तक झारखंड राज्य का संबंध है, जेल प्रशासन और जेलों में कैदियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम झारखंड राज्य पर न्यायालय में, डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) सं. 6125/2017 आदि। मामले, जो लंबित हैं, दिनांक 13.01.2023 के आदेश द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को आदर्श जेल नियमावली, 2016 के आधार पर झारखंड जेल नियमावली के प्रारूपण के बारे में अवगत कराया गया। हालाँकि इसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए, हम प्रभावी जेल प्रशासन को लागू करने और कैदियों के हितों की रक्षा के लिए झारखंड सरकार को उचित निर्देश जारी करना आवश्यक समझते हैं।

18. परिणाम में,

(i) उच्च न्यायालय का दिनांक 21.08.2023 का आदेश दरकिनार कर दिया गया है और कारागार महानिरीक्षक का दिनांक 17.05.2023 का आदेश/ज्ञापन बहाल कर दिया गया है।

(ii) अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून के अनुसार उपलब्ध सीमा तक उत्तरदाता के जीवन, बुनियादी और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए।

(iii) झारखंड राज्य, यदि पहले से नहीं किया गया है, तो प्रभावी जेल प्रशासन के लिए 2016 मॉडल जेल मैनुअल के लागू प्रावधानों को शामिल करते हुए एक जेल मैनुअल के निर्माण को तैयार करेगा या जेल अधिकारियों द्वारा इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

19. उपरोक्त शर्तों में इस अपील की अनुमति दी गई है और इसका निपटारा किया गया है। संबंधित विविध अनुप्रयोग(ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटान कर दिया जाएगा। मामले का परिणामः अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय) पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है ।